न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द

मुकदमा नम्बर – 171/2024 प्रा॰ पत्र अनवान – लहरीबाई बनाम भंवरसिंह

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
25.03.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रवीण मण्डोवरा उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री दिनेश खटीक उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 03.03.2025 को अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 3 की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की मौरूसी सम्पत्ति है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त भूमियों में प्रार्थीगण के हक अधिकार का निर्धारण मूल वाद के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही संभव है। वादग्रस्त भूमियां विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने से यदि वादग्रस्त भूमियों बाबत विपक्षीगण के विरूद्ध अभी स्थगन जारी नहीं किया जाता है तो विपक्षीगणों के द्वारा उक्त भूमियों की किस्म परिवर्तन करवा दी जाने की स्थिति में अथवा भूमि का अन्तरण कर देने की स्थिति में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है एवं प्रकरण में अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढेगी। जिससे प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त भूमियों को रहन, विक्रय बक्षीस आदि किसी भी तरिके से अन्तरित नहीं करे, भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे, ना ही भूमि को खुर्द बुर्द करे। विपक्षी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां विपक्षीगण को न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/1982 रे.वाद में पारित अन्तिम निर्णय आदेश दिनांक 04.05.1988 से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है। आराजी संख्या 92, 147 व 150 की भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को जरिये विरासत नामान्तरण संख्या 33 निर्णय दिनांक 18.03.1983 से प्राप्त हुई थी किन्तु उक्त नामान्तरण को भी अवैध घोषित कराने हेतु प्रार्थीगण ने किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त भूमि को विपक्षीगण संख्या 1 के हक अधिकार की ही मानते चले आये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 1 व 3 के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाकर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 29.04.2022 पर माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा किये गये विवेचन के प्रकाश में न्यायालय हाजा का मत है कि प्रकरण में वाद वर्णित भूमि के संबंध में पक्षकारान के हक अधिकार का सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	

Scanned with ACE Scanner

निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही तय किया जाना संभव है जिससे वर्तमान में वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द किया जाने से रोका जाना आवश्यक होकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट व सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है वे ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त भूमियों को रहन, विक्रय बक्षीस आदि किसी भी तरिके से अन्तरित नहीं करे, भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे, ना ही भूमि को खुर्द बुर्द करे।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बृजेश गुप्ता R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

Scanned with ACE Scanner